रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2012/पौष 26, 1933
No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2012/PAUSA 26, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 18(अ).—भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार सलाहकार समिति के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (प्रत्यायन अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं-**

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) 'अधिनियम' से भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) अभिप्रेत है ;

(ii) 'आवेदक' से इस अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण की वांछा रखने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(iii) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित भांडागार और विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(iv) 'प्ररूप' से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(v) 'रजिस्ट्रीकरण' से इन विनियमों के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ; और

(vi) "नियम" से भांडागार (विकास और विनियमन) प्रत्यायन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2007 अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और नियमों में परिभाषित हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, अधिनियम या विनियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्रत्यायन अभिकरण

3. प्रत्यायन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण- प्राधिकरण, अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निकायों को रजिस्टर कर सकेगी जिनके पास नियमों में यथावर्णित अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, निरीक्षण या भांडागारों के प्रत्यायन में पर्याप्त अनुभव है ।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

4. रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया- (1) प्राधिकरण, प्रत्यायन अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए, अधिनियम और भांडागार (विकास और विनियम) प्रत्यायन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण, नियम, 2010 में यथा विहित सभी सुसंगत सूचना की, सम्यक तत्परता से जांच, करेगा ।

(2) प्राधिकरण पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इंकार कर सकेगा और उसे इस प्रकार पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(3) विनियम (4) के अधीन प्रस्तुत कोई आवेदन, जो सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण नहीं है और प्ररूप में विहित अनुदेशों के अनुसार नहीं है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण- रजिस्ट्रीकरण की वांछा रखने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत प्रत्यायन अभिकरण रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व नियत प्ररूप में, दो प्रतियों में, प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि का जारी करना- (1) मूल प्रमाणपत्र के खोने, फट जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, विरुपित या विकृत हो जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा विहित प्ररूप में अनुरोध प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी की जाएगी ।

(2) फटे हुए, क्षतिग्रस्त, विरूपित या विकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी होने पर प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्राधिकरण को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन के साथ आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक के बैंक डाफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से, नियमों के नियम 10 के उपनियम (3) में यथाविहित पांच सौ रुपए की फीस में होगी ।

अध्याय 4

रजिस्ट्रीकरण करने, निलंबित करने, रद्द करने, प्रतिसंहरण करने के लिए प्रक्रिया

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र- प्राधिकरण, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अर्हता और अन्य अपेक्षाएं पूरी करता है, नियमों में विहित प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

Regulation (1)

12. रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण के लिए किसी प्रतिकर का न होना – जहाँ किसी प्रत्यायन अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण इन विनियमों के उपबंधों के अधीन निलंबित, रद्द या प्रतिसंहृत किया जाता है वहां प्राधिकरण प्रत्यायन अभिकरण को किसी प्रतिकर, संदत्त फीस या जमा के प्रतिदाय का दायी नहीं होगा ।

13. राजेस्ट्रीकरण की मंजूरी, रजिस्ट्रीकरणों का निलंबन और प्रतिसंहरण और प्रत्यायन अभिकरणों की सूची का प्रकाशन –

(1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्यायन अभिकरणों के नाम और पतों को समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा और प्राधिकरण के वैबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चातवर्ती निलंबन या प्रतिसंहरण को भी अधिसूचित किया जाएगा और इसकी भी सूचना प्राधिकरण के वैबसाइट पर अलग से उपलब्ध कराई जाएगी ।

14. अपील – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

परंतु कोई अपील साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किंतु नब्बे दिन की कुल अवधि से परे ग्रहण नहीं की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था ।

[फा. सं. डब्ल्यू.डी.आर.ए./6/प्र.ए.वि./2011]

श्रीमति यतिन्द्र प्रसाद, निदेशक